सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण

औद्योगिक क्षेत्र-सतहरिया, जौनपुर
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
☎ सतहरिया- 05454-273304
05454-273669

पत्रांकः 418-(1)
दिनांकः 03-12-2019

औद्योगिक भूखण्डों को प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

विज्ञप्ति

एतद द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया सीडा जौनपुर में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों से दिनांक 30.12.2019 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। भूखण्डों का विवरण एंव आवश्यक शर्ते निम्नवत हैः–

क्र.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	क्र.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	ए–3	7000.00	10.	बी–69	4000.00
2.	ए–9	10281.00	11.	सी–11	3100.00
3.	ए–41/3	13825.62	12.	सी–12	4000.00
4.	बी–37	4856.00	13.	सी–18	4211.25
5.	बी–38	4556.00	14.	सी–19	3681.00
6.	बी–44	3940.90	15.	सी–20	5794.00
7.	बी–57	4571.30	16.	सी–43	3200.00
8.	बी–59	3880.00	17.	ई–126	2385.00
9.	बी–60	3880.00	18.	एफ–52	1000.00

नियम एवं शर्तेः

(1) आवेदन फार्म की दर रू0 525/– है। आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 30.12.2019 तक किसी भी कार्यदिवस में औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया स्थित सीडा कार्यालय से प्राप्त/जमा किया जा सकता है। आवेदन पत्र सीडा की वेबसाईट www.sidajaunpur.com से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये आवेदन पत्र के साथ रू0 525/– का बैंक ड्राफ्ट जो SIDA के नाम बना हो तथा सतहरिया अथवा जौनपुर शाखा पर देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(2) औद्योगिक भूखण्डों का दर रू0 3500/– प्रति वर्गमीटर है। अर्नेस्ट मनी कुल मूल्य का 10 प्रतिशत होगी। आवंटन प्रक्रिया साक्षात्कार के द्वारा किया जायेगा। प्रक्रिया शुल्क एक एकड़ से कम पर रू0 2,000/–, एक एकड़ से 5 एकड़ तक रू0 5,000/– तथा 5 एकड़ से ऊपर रू0 10,000/– होगा। भूखण्डों का आवंटन का प्रयोजन सामान्य होगा। आवंटन पत्र जारी करने के पश्चात् आवंटी द्वारा Reservation money जो कि भूखण्ड के कुल कीमत का 25 प्रतिशत है, आवंटन तिथि से एक माह के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा (Earnest money समायोजित करते हुए) । अन्यथा की स्थिति में Earnest money प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी। अर्नेस्ट मनी एवं प्रक्रिया शुल्क अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट जो SIDA के नाम बना हो तथा सतहरिया अथवा जौनपुर शाखा पर देय हो, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किसी भी आवेदन/आवंटन/समस्त आवंटन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(4) भूखण्ड के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है।

(5) यदि भूखण्ड की दरों में कोई पुनरीक्षण होता है तो भूखण्ड का आवंटन पत्र निर्गत करने की तिथि को लागू दरें आवंटी द्वारा देय होगी।

(6) आवेदन पत्र के साथ परियोजना रिपोर्ट, रफ–लेआउट प्लॉन, आवेदक संस्था/कम्पनी/ व्यक्ति से सम्बन्धित हस्ताक्षरित प्रपत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) आवेदनकर्ता के स्टेट्स से संबंधित निम्न दस्तावेज जमा किया जाना अनिवार्य है।

(a)	Partnership Firm	Copy of partnership deed duly notarised
(b)	Registered Society	Certificate of Registration, Bye-laws of Society certified by Secretary/Chairman of society, List of members with their addresses
(c)	Private limited Company	Certificate of Incorporation, Memorandum and Article of Association, List of shareholders and directors alongwith their shareholding authenticated by CA
(d)	Public Limited Company	Certificate of Incorporation, Memorandum and Article of Association, List of directors and their shareholding authenticate by CA

(8) Reservation money आवंटन पत्र जारी किये जाने की तिथि से 30 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(9) आवंटन से संबंधित अन्य सूचनाएं व विस्तृत जानकारी औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया स्थित सीडा कार्यालय जौनपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(10) समस्त आवेदक दिनांक 03.01.2020 को पूर्वान्ह 11.00 बजे कलेक्ट्रेट मीटिंग हाल जौनपुर में उद्योग से सम्बन्धित अनुभव एवं वित्तीय स्थिति तथा फर्म/कम्पनी का 3 वर्षों का बैलेन्स शीट जो चार्टड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित हो सम्बन्धित प्रपत्र/अभिलेख के साथ साक्षात्कार में प्रतिभाग करें। साक्षात्कार हेतु अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं प्रेषित किया जायेगा।

(दिनेश कुमार सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीडा, जौनपुर।

संख्या–418-(1) /भू0आवंटन/2019–2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सिसनेट सिस्ट्मस, पता–2ए, म्योर रोड, इलाहाबाद को सीडा की वेबसाईट www.sidajaunpur.com पर अपलोड किये जाने हेतु।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा/ग्रेटर नोएडा/गीडा/लीडा/यूपीसीडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संदर्भित विज्ञप्ति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
3. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संदर्भित विज्ञप्ति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

3/1/2

(दिनेश कुमार सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीडा, जौनपुर।